न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2025/315

मिसल नम्बर– 47 / 2025

1.श्रीमती सुमित्रा पत्नी स्व0 श्री मोहनलाल उम्र 65 वर्ष जाति महावर निवासी खण्ड गांवडी सिविल लाईन्स कोटा राज0 मो0 9928757428

प्रार्थीया।

बनाम

1.करण पुत्र स्व0 श्री मोहनलाल उम्र 31 वर्ष जाति महावर
2.श्रीमती प्रियंका पत्नी करण उम्र 28 वर्ष जाति महावर निवासीगण खण्ड गांवडी सिविल लाईन्स कोटा राज0

अप्रार्थीगण।

–:निर्णयः–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 22/12/25

उपस्थितिः–

1.श्री आशीष प्रार्थी अधिवक्ता
2.श्री दिनेश नाथावट अप्रार्थीगण अधिवक्ता

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया एक विधवा सीनियर सिटीजन सेवा से सेवानिवृत्त महिला है जो अपनी पुत्री पूनम के साथ उपरोक्त पते पर निवास करती चली आ रही है। प्रतिपक्षी संख्या 1 प्रार्थीया का पुत्र है व प्रतिपक्षी संख्या 2 प्रार्थीया की पुत्रवधू है। प्रतिपक्षीगण द्वारा प्रार्थीया के साथ आयेदिन नशा करके घर पर आता है एवं प्रार्थीया के साथ मारपीट करता है। प्रतिपक्षी संख्या 2 द्वारा दिनांक 14.05.2025 को प्रार्थीया के साथ गाली गलौच की एवं बोतल फेंककर मारी जिसके कारण प्रार्थीया के हाथ में सूजन आ गई एवं प्रतिपक्षी संख्या 1 ने प्रार्थीया को धमकी दी कि वह प्रार्थीया को जान से मारकर मकान में गाड देगा, प्रार्थीया द्वारा प्रतिपक्षीगण को कई बार कहा गया कि उक्त मकान प्रार्थीया की स्वयं की निजी सम्पत्ति है इसलिये प्रतिपक्षीगण उक्त मकान को खाली करके चले जाये परन्तु प्रतिपक्षीगण द्वारा मकान को खाली नहीं करके प्रार्थीया को जान से मारने की धमकियां दी जा रही है एवं प्रार्थीया को अन्देशा है कि दोनों प्रतिपक्षीगण द्वारा कभी भी प्रार्थीया के साथ कोई गंभीर घटना कारित की जा सकती है। प्रार्थीया द्वारा उक्त घटना के संबंध में एक रिपोर्ट थाना नयापुरा कोटा में दी हैं जहां कार्यवाही विचाराधीन है पूर्व में भी प्रार्थीया ने प्रतिपक्षीगण के विरूद्ध मारपीट किये जाने की रिपोर्ट थाना

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

नयापुरा कोटा में दी थी जहां प्रतिपक्षीगण को पाबन्द किया गया परन्तु उसके पश्चात भी प्रतिपक्षीगण द्वारा प्रार्थीया को निरन्तर जान से मारने की धमकियां देकर मारपीट की जा रही है। प्रार्थीया एक सीनियर सिटीजन है जो कि जे.के. लोन हास्पीटल नयापुरा कोटा से सरकारी सेवा से निवृत्त है और प्रार्थीया के पति का 30 वर्ष पूर्व स्वर्गवास होने के बाद प्रार्थीया द्वारा ही उक्त मकान का निर्माण करवाया गया। प्रार्थीया उक्त मकान की एक मात्र स्वामिनी है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिपक्षीगण के विरूद्ध कार्यवाही अमल में लाते हुये उन्हें प्रार्थीया के मकान से बेदखल किये जाने की कृपा करें।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। बाद तलबी अप्रार्थीगण उपस्थित। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थीया द्वारा असत्य व मिथ्या तथ्यों के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीया द्वारा जानबूझकर के इस तरह के झूठे कथनों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है ताकि प्रार्थीया वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के अनुरूप अनुचित लाभ प्राप्त कर सकें। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में सभी कथन किसी भी स्वतंत्र साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है। प्रार्थीया द्वारा अपने कथनों की पुष्टि हेतु कोई भी ऐसी मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये जिससे यह प्रमाणित हो कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीया के साथ कोई भी गलत कार्य किया हो। प्रार्थीया द्वारा वर्णित मकान अप्रार्थी नं0 1 के पिता मोहनलाल जी का था तथा मोहनलाल जी द्वारा ही प्लाट क्रय करके मकान का निर्माण किया गया था तथा नल व बिजली के बिलो में भी अप्रार्थी नं0 1 के पिता मोहनलाल जी का नाम अंकित है। मोहनलाल जी के विधिक वारिसों में अप्रार्थी नं0 1 एवं उसकी बहनें व प्रार्थीया सभी संयुक्त रूप से अधिकार रखते है परन्तु प्रार्थीया ने उक्त मकान में धोखाधड़ी करते हुए नगर निगम से अपने नाम करवा लिया है तथा अब जानबूझकर के अप्रार्थीगण को घर से निकालने पर आमादा है इसी कारण उक्त झूठा प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। प्रार्थीया अपनी बेटियो पूनम व सीमा का पुत्र चिराग जो कि उक्त मकान में ही निवास करते है, के साथ एक राय होकर अप्रार्थीगण से लडाई झगड़ा करते है, उनके साथ क्रुरतापूर्वक व्यवहार करते है। प्रार्थीया अप्रार्थी नं0 2 को पसन्द नही करती तथा विवाह के पश्चात से ही अप्रार्थी नं0 2 को कम दहेज लाने, विवाह अच्छा नहीं करने दहेज में कैश पैसा नहीं देने के कारण उससे नाराज रहती है। प्रार्थीया अप्रार्थी नं0 2 को मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताडित करती है, छोटी छोटी बातो को लेकर लडाई झगड़ा करती है, तथा सदैव झूठे आरोप–प्रत्यारोप कर लडाई झगड़े पर उतारू हो जाती है। प्रार्थीया, अप्रार्थी नं0 2 को अपशब्द बोलती है, उसके साथ मारपीट करती है, गाली गलौच करती है। अप्रार्थी नं0 1 जब काम पर चला जाता है तो अप्रार्थी नं0 2 को ताने मारती है कि तेरे बाप ने क्या दिया तू यहां से चली जा नहीं तो तुझे जान से मार देंगे। प्रार्थीया, अप्रार्थी नं0 1 को अप्रार्थी नं0 2 के विरूद्ध लडाई झगड़े करने के लिए उकसाती रहती है। प्रार्थीया, अप्रार्थी नं0 1 को अप्रार्थी नं0 2 को घर से

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
को.

निकालने के लिए ताने मारती है और अप्रार्थी नं0 1 के द्वारा मना करने पर अप्रार्थी नं0 1 के साथ भी लडाई झगड़ा करती है। अप्रार्थीगण उक्त मकान के मात्र एक कमरे में रहते है उसके बावजूद भी प्रार्थीया बार बार अप्रार्थीगण के कमरे में अनावश्यक रूप से दखलअंदाजी करके प्रार्थीया के साथ किसी भी समय लडाई झगड़ा शुरू कर देते है। प्रार्थीया, अप्रार्थीगण को परेशान करने की गरज से जानबूझकर के अप्रार्थीगण के कमरे में स्वयं के कपडे व सामान रख देते है तथा इसी बहाने किसी भी समय कमरे में घुसकर अप्रार्थीगण से लड़ाई झगड़ा शुरू कर देती है। प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थीगण के मोबाईल तोड दिये, उनके कपड़ो व बर्तनों को नुकसान पहुंचाया तथा अप्रार्थी नं0 2 के समस्त स्त्रीधन सोने–चांदी के जेवरात, कपडे, बर्तन प्रार्थीया के पास ही रखा हुआ है जिसे भी प्रार्थीया अप्रार्थीगण को काम में नहीं लेने देती। प्रार्थीया अप्रार्थी नं0 1 को अप्रार्थी नं0 2 के लिए घर खर्च, खाने कपडे व दैनिक सुविधाये प्रदान नहीं करने के लिए उकसाती है अप्रार्थी नं0 1 को धमकी देती है कि तूने अगर हमारी बात नहीं मानी तो तुझे भी घर से निकाल देगे तथा तुम दोनो को इतना तंग व परेशान करेंगे कि तुम आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाओगे। प्रार्थीया, अप्रार्थीगण के विरूद्ध झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी देती है। इसी मंशा को रखते हुए प्रार्थीया द्वारा उक्त अधिनियम का दुरूपयोग करते हुए अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने की गरज से झूठे तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीया को सदैव स्नेह व सम्मान पूर्वक आचरण किया है तथा कभी भी प्रार्थीया के साथ किसी भी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार या गलत आचरण नहीं किया। अप्रार्थीगण द्वारा सदैव प्रार्थीया के प्रति अपने कर्त्तव्यो व दायित्वों का पूर्ण रूप से निर्वहन किया है तथा कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे प्रार्थीया के सम्मान को ठेस पहुंचे या उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को आंच पहुंचे। प्रार्थीया एक रिटायर सरकारी कर्मचारी है जिसे मासिक पेंशन प्राप्त होती है तथा प्रार्थीया को किसी प्रकार की कोई बिमारी नहीं है प्रार्थीया पूर्णरूप से स्वस्थ्य है। अप्रार्थीगण, प्रार्थीया का सदैव अच्छी तरीके से देखभाल व सार संभाल करते है। प्रार्थीया द्वारा पूर्व में भी अप्रार्थीगण के विरूद्ध थानो में झूठी कार्यवाही की गई। इसके अतिरिक्त परिवार एवं समाज के सभी रिश्तेदारो एवं गणमान्य व्यक्तियों द्वारा प्रार्थीया को अपने व्यवहार में परिवर्तन करने हेतु समझाईश की किन्तु प्रार्थीया के व्यवहार में परिवर्तन नहीं आया जिससे विवश होकर अप्रार्थी नं0 2 द्वारा प्रार्थीया के विरूद्ध घरेलू हिंसा कारित नहीं करने का प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय ए.सी.जे.एम. क्रम 7 कोटा के समक्ष प्रस्तुत किया है जो कि वर्तमान में लम्बित है। थाना नयापुरा द्वारा भी प्रार्थीया को अप्रार्थीगण के साथ लडाई झगड़ा नहीं करने की समझाईश की गई। प्रार्थीया द्वारा जानबूझकर झूठे तथ्यों पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो कि खारिज होने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को सव्यय खारिज फरमाये जाने का आदेश प्रदान फरमावे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र की प्रकिया के उपरांत पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की ओर से अपने अपेन प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराया गया।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया। प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि प्रतिपक्षीगण द्वारा प्रार्थीया के साथ आयेदिन नशा करके घर पर आता है एवं प्रार्थीया के साथ मारपीट करता है। प्रतिपक्षी संख्या 2 द्वारा दिनांक 14.05.2025 को प्रार्थीया के साथ गाली गलौच की एवं बोतल फेंककर मारी जिसके कारण प्रार्थीया के हाथ में सूजन आ गई। इसके विपरीत अप्रार्थीगण की ओर से प्रार्थीया के कथनों का खण्डन करते हुये निवेदन किया है कि है। प्रार्थीया, अप्रार्थी नं0 2 को अपशब्द बोलती है, उसके साथ मारपीट करती है, गाली गलौच करती है। प्रार्थीया, अप्रार्थीगण के विरूद्ध झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी देती है। इसी मंशा को रखते हुए प्रार्थीया द्वारा उक्त अधिनियम का दुरूपयोग करते हुए अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने की गरज से झूठे तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थीया ने मारपीट की रिपोर्ट थाना नयापुरा में दर्ज किया जाना बताया है वहीं अप्रार्थीया द्वारा घरेलू हिंसा का प्रकरण ए.सी.जे.एम. क्रम 7 कोटा में लम्बित होना दर्शाया है। मकान के बिजली व पानी के बिल प्रार्थीया के प्रति के नाम से है तथा नगर निगम से पट्टा पुत्र की सहमति के आधार पर जारी हुआ है। प्रार्थीया द्वारा अपने कथनों के समर्थन में अन्य कोई ठोस दस्तावेज या सबूत या रिपोर्ट या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया हैं जिससे प्रार्थीया के कथनों को प्रमाणित किया जा सके। जिस कारण से प्रार्थीया अपने उक्त कथनों को सिद्ध करने में असमर्थ रहे है। अतः प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थीगण को खण्ड गांवडी सिविल लाईन्स कोटा राज0 में स्थित उपरोक्त वर्णित मकान से बेदखल किये जाने की प्रार्थना स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

परन्तु न्यायहित एवं भरण पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम की भावना को मद्देनजर रखते हुए अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है कि वे प्रार्थीया को मकान में शांतिपूर्वक निवास, उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें, दुर्व्यवहार एवं गाली–गलौच नही करे, प्रार्थीया को शारीरिक एवं मानिसक रूप से प्रताडित तथा मारपीट नही करे।

उक्त निर्णय आज दिनांक 22/12/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा राजस्थान

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा